



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112022-240447
CG-DL-E-21112022-240447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739]
No. 739]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2022/कार्तिक 30, 1944
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2022/KARTIKA 30, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 830(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवंबर, 2022 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के प्रावधान, शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय होने के नाते शिक्षता और व्यावहारिक प्रशिक्षण के निम्नलिखित चार क्षेत्रीय बोर्ड पर लागू होगी और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार की कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों अन्तर्स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

1.	2.	3.
"216	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता	शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
217	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई	शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
218	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर	शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय
219	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई	शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय" ।

[फा. सं. पी-13030/1/2022-एटी]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांको के द्वारा संशोधित की गई थी, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1986;
- (ii) सा.का.नि. 84(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987;
- (iii) सा.का.नि. 409(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1987;
- (iv) सा.का.नि. 542(अ), तारीख 11 जुलाई, 1995;
- (v) सा.का.नि. 748(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1998;
- (vi) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002;
- (vii) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006;
- (viii) का.आ. 1228(अ), तारीख 25 जुलाई, 2007;
- (ix) का.आ. 1823(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2007;
- (x) का.आ. 906(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2008;
- (xi) का.आ. 2580(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2008;
- (xii) का.आ. 2824(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2008;
- (xiii) का.आ. 727(अ), तारीख 31 मार्च, 2010;
- (xiv) का.आ. 2411(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010;
- (xv) का.आ. 958(अ), तारीख, 12 अप्रैल, 2013;
- (xvi) का.आ. 2617(अ), तारीख, 27 अगस्त, 2013;
- (xvii) का.आ. 1258(अ), तारीख 9 मई, 2014;
- (xviii) का.आ. 3107(अ), तारीख, 17 नवंबर, 2015;
- (xix) का.आ. 1968(अ), तारीख 22 जून, 2017;
- (xx) का.आ. 3434(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017; तथा
- (xxi) सा.का.नि. 432(अ), तारीख 08 जून, 2022 ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2022

G.S.R. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 21st November, 2022 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the following four Regional Boards of Apprenticeship or Practical Training, being autonomous bodies under the Ministry of Education and for the said purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.730(E), dated the 2nd May, 1986, namely:-

In the Schedule to the said notification, after serial number 215 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

1.	2.	3.
“216.	Board of Practical Training, Eastern Region, Kolkata	Autonomous body under the Ministry of Education
217.	Board of Apprenticeship Training, Western Region, Mumbai	Autonomous body under the Ministry of Education
218.	Board of Apprenticeship Training, Northern Region, Kanpur	Autonomous body under the Ministry of Education
219.	Board of Apprenticeship Training, Southern Region, Chennai	Autonomous body under the Ministry of Education”.

[F. No.P-13030/1/2022-AT]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 730 (E), dated the 2nd May, 1986 and subsequently amended *vide* following notifications numbers, namely:-

- (i) G.S.R. 1172 (E), dated the 31st October, 1986;
- (ii) G.S.R. 84 (E), dated the 6th February, 1987;
- (iii) G.S.R. 409 (E), dated the 20th April, 1987;
- (iv) G.S.R. 542 (E), dated the 11th July, 1995;
- (v) G.S.R. 748 (E), dated the 17th December, 1998;
- (vi) G.S.R. 8 (E), dated the 4th January, 2002;
- (vii) G.S.R. 499 (E), dated the 23rd August, 2006;
- (viii) S.O. 1228 (E), dated the 25th July, 2007;
- (ix) S.O. 1823 (E), dated the 25th October, 2007;
- (x) S.O. 906 (E), dated the 22nd April, 2008;
- (xi) S.O. 2580 (E), dated the 31st October, 2008;
- (xii) S.O. 2824 (E), dated the 1st December, 2008;
- (xiii) S.O. 727 (E), dated the 31st March, 2010;
- (xiv) S.O. 2411(E), dated the 4th October, 2010;
- (xv) S.O. 958(E), dated the 12th April, 2013;
- (xvi) S.O. 2617(E), dated the 27th August, 2013;
- (xvii) S.O. 1258(E), dated the 9th May, 2014;

- (xviii) S.O. 3107(E), dated the 17th November, 2015;
- (xix) S.O. 1968(E), dated the 22nd June, 2017;
- (xx) S.O. 3434(E) dated the 27th October, 2017; and
- (xxi) G.S.R. 432(E) dated the 08th June, 2022.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 1986/वैशाख 12, 1908

No. 219]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISAKHA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन संज्ञालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 730 (अ) :—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 12 मई, 1986 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबन्ध नीचे अनुसूची में दिए गए विधियों या समितियों और प्राधिकरणों पर लागू होंगे क्योंकि ये नियम या समितियाँ और अन्य प्राधिकरण सरकार के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा नियमित हैं :—

अनुसूची

क्रम नियम/समिति/अन्य प्राधिकरण का नाम

सं.

1	2	3
1.	कर्मचारी प्रविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी	सांविधिक निकाय

1	2	3
2.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	निगम
3.	केन्द्रीय कार्यकर्ता शिक्षा बोर्ड	पंजीकृत समिति
4.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान	पंजीकृत समिति
5.	राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद	पंजीकृत समिति

[सं. ए.-11019/16/86-ए. टी.]
पी. जी. सेले, निदेशक

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 2nd May, 1986

NOTIFICATION

GSR 730 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 12th day of May, 1986, as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall

apply to the corporations or societies and other authorities, mentioned in the Schedule below, being the corporations or societies and other authorities owned or controlled by Government:—

SCHEDULE

S.No.	Name of the corporation/society/ other authority	
1	2	3
1.	Central Board of Trustees constituted under the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.	Statutory Body

1	2	3
2.	Employees' State Insurance Corporation	Corporation
3.	Central Board for Workers' Education	Registered society
4.	National Labour Institute	Registered society
5.	National Council of Safety in Mines, Dhanbad	Registered society

[No. A-11019/16/86-AT]

P. G. LELE, Director